

# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

## // आवश्यक सूचना //

क्रमांक-875/परीक्षा/2017

जबलपुर, दिनांक-22.11.2017

सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोईग-जिला न्यायालय) में चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन मेरिट के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा काउंसलिंग (Counseling) के माध्यम से किया जाना है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 29.11.2017 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे अनिवार्य रूप से प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर उपस्थित होना है।

यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक व समय में उपस्थित नहीं होता है अथवा विलम्ब से उपस्थित होता है अथवा काउंसलिंग छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के जिले का आवंटन परीक्षा सेल द्वारा शेष किसी भी जिले में किया जा सकेगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तथ्यों का विशेष ध्यान रखना है।

1. उपरोक्त दिवस में चयनित अभ्यर्थियों को जिले के आवंटन हेतु मेरिट के क्रमानुसार ही बुलाया जावेगा।
2. अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल में निर्धारित तिथि में समय से 15 मिनट पूर्व उपस्थित हों।
3. निर्धारित दिवस में अभ्यर्थी को अपने साथ अपना वैधानिक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) लेकर स्वयं ही उपस्थित होना है। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि फोटोयुक्त मूल-पहचान पत्र की फोटो कॉपी/डुप्लीकेट/स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी।

4. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को जिला चयन के लिए सोचने-समझने का अधिक अवसर नहीं रहेगा, अतः चयनित अभ्यर्थी पूर्व में ही अपनी सुविधानुसार यह सुनिश्चित कर लें कि क्रमानुसार कौन-कौन से जिले उनके लिए अनुकूल है।
5. काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी भी प्रकार का संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं काउंसलिंग दिवस में यदि किसी अभ्यर्थी को उसका पसंदीदा जिला नहीं मिलता है तो इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) अथवा व्यक्तिगत संपर्क स्वीकार्य नहीं होगा।
6. काउंसलिंग का आयोजन केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए किया गया है, वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रतीक्षा सूची में स्थान दिया गया है वे काउंसलिंग दिवस में उपस्थित न हो।
7. जिला आवंटन के पश्चात् नियुक्ति आदेश संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रेषित किया जावेगा इस संबंध में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) एवं दूरभाष संपर्क स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल में पहुँचने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. काउंसलिंग कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा कदाचरण करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।
10. काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी के साथ आये अन्य परिजनों को काउंसलिंग स्थल में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।



(उमेश कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार (परीक्षा)

सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोईग-जिला न्यायालय) के रिक्त पदों की काउंसलिंग हेतु  
जिलेवार जानकारी

श्रेणी – अनारक्षित

क्र०	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या
1	अनूपपुर	1
2	भोपाल	1
3	बुरहानपुर	1
4	देवास	1
5	धार	1
6	गुना	1
7	होशंगाबाद	1
8	इंदौर	1
9	खण्डवा	1
10	मंदसौर	1
11	नीमच	1
12	राजगढ़	1
13	रतलाम	1
14	शाजापुर	1
15	श्योपुर	1
16	सिंगरौली	1
	योग	16